1

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी– श्री रतनलाल रैगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 149/2018

प्रार्थी:– उगाराम पुत्र श्री चुनाराम, जाति जाट, निवासी जसनाथनगर, खेतासर, तहसील ओसियां।

बनाम

अप्रार्थी:– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक:– 24.8.2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 108 बीघा ग्राम जसनाथनगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के सह खातेदार के साथ प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त उगरा पुत्र चूना दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम उगाराम पुत्र श्री चुनाराम हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वंश उगरा दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि उगाराम पुत्र श्री चुनाराम के नाम से बने हुए हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि के अलावा प्रार्थी द्वारा अन्य भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 432, 433, 435/2, 444 व खसरा नम्बर 459 ग्राम जसनाथनगर व खसरा नम्बर 291/1, 288/1 ग्राम खेतासर में भी प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय के आदेश से नाम दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उगाराम पुत्र श्री चुनाराम दर्ज किया गया है। लेकिन उक्त भूमि खसरा नम्बर 446 में नाम दुरस्त करवाना शेष रह गया है इसलिए गलत नाम को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

कार्य रूके हुए पड़े हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 108 बीघा मौजा जसनाथनगर तहसील ओसियां में प्रार्थी का नाम उगरा पुत्र श्री चुना दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम उगाराम पुत्र श्री चुनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम उगाराम पुत्र चुनाराम है। जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है तथा जवाब प्रार्थना पत्र में भी उपरोक्त त्रुटि सुधारने बाबत् अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 446 रकबा 108 बीघा ग्राम जसनाथनगर तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उगरा पुत्र चुना दर्ज कर रखा है, इनके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम उगाराम पुत्र चुनाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 24.8.2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner